कार्यालय : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमण्डल, देवघर

संयुक्त वन भवन, बेलाबगान, देवघर

फोन / फैक्स नं0–6432–232397, मो0–9431137795, ईमेल–dfo.deoghar2@gmail.com

पत्रांक .... दिनांक ....

सेवा में,

e-mail

महाप्रबंधक,

एस.पी.माइंस, चितरा

विषय: देवघर वन प्रमंडल, देवघर अंतर्गत ई.सी.एल. की एस.पी.माइंस, चितरा खुली खदान परियोजना हेतु कुल 124.28 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

प्रसंग: क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, संथाल परगना, दुमका का पत्रांक 1496, दुमका दिनांक 11/08/2021 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में प्रसांगिक पत्र की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाती है। अनुरोध है की क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, संथाल परगना, दुमका के पत्रांक 1496, दुमका दिनांक 11/08/2021 के द्वारा याचित बिन्दुवार प्रतिवेदन निम्नवत समर्पित किया जाए।

क्र०	याचित प्रतिवेदन	अनुपालन
1	Authenticated Land Schedule एवं Cadastral Map जो समर्पित किया गया है उसका कुल क्षेत्रफल 714 हे० ही है। जबकि परियोजना के सम्पूर्ण क्षेत्रफल 780.80 हे० के Authenticated Land Schedule एवं Cadastral Map की मांग की गयी है । समर्पित Abstract में For Rehabilitation कार्य के लिए 66.80 हे० Tenancy Land का उल्लेख किया गया है, लेकिन न तो इसका Land Schedule और न ही CO से Authentication है तथा Cadastral map भी समर्पित नहीं है।	1. Rehabilitation के लिए प्रयोग किये जाने वाली भूमि 66.80 हे० रैयती भूमि का Land Schedule समर्पित किया जाए, जिसके भूमि किस्म का सत्यापन अंचलाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा किया गया हो। 2. Rehabilitation के लिए प्रयोग किये जाने वाली भूमि 66.80 हे० को नक्शा पर दर्शाते हुए मौजा मानचित्र समर्पित किया जाए।
2	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक F.no.11-599/201-FC दिनांक 01.04.2015 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार एक वर्ष के अन्दर पूरे लीज एरिया के सभी वनभूमि का NPV देना है, लेकिन अभी तक समर्पित Land Schedule के अनुसार 113.94 हे० का NPV समर्पित नहीं किया गया है।	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक F.no.11-599/201-FC दिनांक 01.04.2015 के आलोक में भविष्य में प्रस्तावित की जाने वाली वनभूमि 113.94 हे० वन भूमि (जो लीज एरिया का अंश है) का माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.03.08 के आलोक में 6.26 लाख प्रति हे० की दर से ***कुल राशि 7,13,26,440.00 (सात कड़ोड़ तेरह लाख छब्बीस हज़ार चार सौ चालीस रूपए मात्र)*** झारखण्ड के कैम्पा खाता में विधिवत चालान के द्वारा फारेस्ट क्लीयरेंस के पोर्टल "परिवेश" के माध्यम से ऑनलाइन अंतरित किया जाए। स्मरण हो की किसी भी परिस्तिथि में राशि के अंतरण हेतु किसी अन्य पद्धति का प्रयोग नहीं किया जाए अन्यथा राशि कैम्पा खाता में अंतरित नहीं होने की स्थिति में अथवा विलम्ब

		से प्राप्त होने की स्थिति में पूरी जवाबदेही प्रयोक्ता संस्थान की होगी। साथ ही इस आशय का वचनबद्धता पत्र समर्पित किया जाए की भविष्य में NPV के दर में संशोधन किया जाता है अथवा प्रस्ताव समर्पण के समय वन भूमि पर अवस्थित वृक्षों की कैनोपी डेंसिटी अधिक पायी जाती है तो वर्धित दर पर अतिरिक्त NPV राशि की मांग किये जाने पर उक्त राशि जमा किया जाना प्रयोक्ता संस्थान की बाध्यता/ जिम्मेवारी होगी।

अनुरोध है की याचित अनुपालन प्रतिवेदन 10 (दस) प्रतियों में यथाशीघ्र समर्पित किया जाए ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-
वन प्रमंडल पदाधिकारी
देवघर वन प्रमंडल देवघर

ज्ञापांक 1161 दिनांक 13/08/2021

email

प्रतिलिपि: क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, संथाल परगना, दुमका एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

वन प्रमंडल पदाधिकारी
देवघर वन प्रमंडल देवघर